न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री भागीरथ राम (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 15/2023
तारीख दायर – 01.12.2023

प्रार्थी :–

सरस्वती पत्नि अजयसिंह जाति–राजपुरोहित, निवासी–मादा तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)

–: बनाम :–

अप्रार्थी :–

भूमिधारी जरिये राजस्थान सरकार तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभीधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2– श्री प्रवीण रत्नु तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

–: आदेश :– दिनांक– 6-12-2023.

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (2) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ ग्राम छोडा तहसील देसूरी की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 698 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिये संलग्न नक्शे में दर्शित हरी स्याही अनुसार (रास्ते की भूमि) 30 फीट अर्थात 9 मीटर चौडा नया रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 699 रकबा 5.37 हैक्टर किस्म गे.मु पहाड में से रास्ते की मांग की गई है।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय से नोटिस जारी किया गया।

4. अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2023/1518 दिनांक 06.12.2023 के जरिये भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–
(1)– भू–अभिलेख निरीक्षक गुडा जाटान की जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। न ही कदीमी रास्ता है। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु एवं फसल बोने से पूर्व पडौसी खसरो से ही आना–जाना पडता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

(2)– प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इसलिये प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 699 राजकीय सिवाचयक भूमि में से रास्ता चाहा है। सडक से लगता हुआ खसरा नम्बर 717 है ।

(3)– रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि मौजा छोडा के खसरा नम्बर 699 में से 2430 वर्ग मीटर यानि 0.2430 हैक्टर अर्थात (30 फिट) है।

(4)– प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निमार्ण कार्य वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

(5)– प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय के अनुसार डी.एल.सी. की दर 192894/– प्रति हैक्टर है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी को सुना गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 698 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 699 किस्म गे.मु. पहाड रकबा 5.37 हैक्टर में से 30 फीट यानि 0.2430 हैक्टर अर्थात 2430 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा नम्बर 717 किस्म गे.मु. रास्ता सडक से लगता हुआ है। भूमि की वर्तमान बाजार दर 192894/– रूपये प्रति हेक्टर से 0.2430 हेक्टर के अनुसार 46873/– रूपये बनती है। जिसकी दोगुनी राशि 93750/– रूपये का अनुदान भुगतान राजकोष में जमा कराना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 30 फीट चौडे रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. की दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 93750/– प्रार्थी द्वारा जरिये चालान राजकोष में जमा कराया जावें।

ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 698 में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 699 में से 30 फीट यानि 2430 वर्ग मीटर अर्थात् 0.2430 हैक्टर चौड़ा रास्ता दिया जाकर एवं राजकोष में जरिये चालान राशि जमा होने के पश्चात रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं नक्शे में तरमीम किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार देसूरी को ओदश की सत्यापित प्रति भेजी जावें।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 6/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner